

29/4
24

पत्रावली पेशा हुई वकील प्रावर्षी कालिदा । पत्रावली में
 बार-बार ओटका के बावजूद श्री आबु हिजाज तक ओटका
 सम्मन पेशा नहीं; वकील प्रावर्षी को पूर्व में श्री
 हिदायत ही जा चुकी है, अबका ओटका पेशा के
 हेतु वकालत अवसर दिया जा चुका है। अतः प्रावर्षी को
 ओटका अंतर्गत ओटका 29 नियम 2 (क) सी पी सी
 क्लेम्प ऑफ कोर्ट अंतर्गत ओटका 19 नियम 5 अंतर्गत
 खानिब किना जाना है। पत्रावली काल क्लेम्प होकर
 वकालत से कम होकर हाथिल वकालत हो

